


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —:कार्यालय आदेश:—

राज्य सरकार के पत्रांक प19(04)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 15.10.2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित कनिष्ठ लिपिक की जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पद पर चयनित निम्नांकित कार्मिक की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित स्थान पर प्रतिनियुक्त किये जाने की स्वीकृति जारी की जाती है। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बारां को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल सम्बन्धित को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

क्र.स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पर पद	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री रूपेन्द्र राव	कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहाबाद, बारां	कनिष्ठ सहायक	आवासीय विद्यालय, नया गांव, महुआ, भरतपुर



(पीतराम सिंह)


उप निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र-सी/5522/सा.प्रति./84

दिनांक: 04.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को आदेश दिनांक 15.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
2. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, बारां
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहाबाद, बारां
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), भरतपुर
6. आवासीय विद्यालय नया गांव, महुआ, भरतपुर
7. कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली



उप निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर